सं. 10/5/2016-पीएंडपी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक 12.06.2017 (13)

कार्यालय ज्ञापन

देश में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अच्छे से और सफलतापूर्वक रोल आउट को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी पणधारक सरकार के साथ-साथ बाहरी दोनों राजस्व विभाग के सहयोग से रोल आउट के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी क्षेत्र और व्यवसाय जीएसटी के लिए तैयार हैं।

2. अधोहस्ताक्षरी को मंत्रालय में जीएसटी सुविधा कक्ष का गठन करने के संबंध में कैबिनेट सचिव के दिनांक 02.06.2017 के अर्धशासकीय पत्र संख्या एस-31011/15/2017-एसटी-आईडीओआर (प्रति संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, विद्युत मंत्रालय में निम्नानुसार जीएसटी सुविधा कक्ष का गठन किया जाता है।

(i) श्री राजपाल, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय - अध्यक्ष
(ii) श्रीमती कृष्णा त्यागी, मुख्य लेखा नियंत्रक - सदस्य
(iii) श्री पी.टी. भूटिया, निदेशक (वित्त), विद्युत मंत्रालय - सदस्य
(iv) श्री अभिजीत फूकन, निदेशक, विद्युत मंत्रालय - सदस्य सचिव

3. जीएसटी सुविधा कक्ष विद्युत क्षेत्र से संबंधित प्रमुख उद्योगों और व्यवसाय एसोसिएशनों और विद्युत मंत्रालय के अधीन सीपीएसयू/स्वायत्त निकायों अर्थात एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल, नीपको, टीएचडीसी, एसजेवीएनएल, डीवीसी, पीएफसी, आरईसी, ईईएसएल, एनपीटीआई, सीपीआरआई तथा बीईई से संपर्क बनाए रखेगा।।

4. इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीपीएसयू/स्वायत्त निकायों को दिनांक 06.06.2017 के पत्र के माध्यम से अपने संगठन में जीएसटी प्रकोष्ठ का गठन करने का अनुरोध भी किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित सीपीएसयू और स्वायत्त संगठन में जीएसटी सुविधा कक्ष क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सम्यक प्रथम बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

यह सचिव (विद्युत) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक : यथोक्त

(पी.बी.एस दिनकर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष. 23752495

सेवा में

1. श्री राजपाल, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय
2. श्रीमती कृष्णा त्यागी, मुख्य लेखा नियंत्रक
3. श्री पी.टी. भूटिया, निदेशक (वित्त), विद्युत मंत्रालय
4. श्री अभिजीत फूकन, निदेशक, विद्युत मंत्रालय
5. सभी सीपीएसयू/स्वायत्त निकायों के सीएमडी

प्रतिः

1. सचिव (विद्युत) के पीपीएस
2. एएस(एसपी), विद्युत मंत्रालय के पीपीएस
3. जेएस एंड एफए, विद्युत मंत्रालय के पीपीएस